jch egksRlo 2011 dk vk;kstu

कृषि विभाग द्वारा रबी मौसम में किसानों को उपादान तथा विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत विहित अनुदान सुलभता से उपलब्ध कराने हेतु व्यापक प्रसार कार्यक्रम रबी महोत्सव 2011 का आयोजन करने का प्रस्ताव हैं रबी महोत्सव दो चरणों में आयोजित की जाएगीं प्रथम रबी महोत्सव दिनांक 10 अक्टूबर से 19 अक्टूबर 2011 तक तथा द्वितीय रबी महोत्सव दिनांक 07 नवम्बर से 18 नवम्बर 2011 तक प्रत्येक प्रखंड के मुख्यालय में आयोजित किया जाएगां प्रथम रबी महोत्सव में किसानों को तेलहन, दलहन, मक्का के साथ – साथ बागवानी फसलों तथा द्वितीय रबी महोत्सव में गेहूँ और बागवानी से संबंधित बीज/उपादान तथा कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं अंतर्गत विहित अनुदान उपलब्ध कराया जाएगां

jch egksRlo 2011 dk vk;kstu &

1. प्रथम रबी महोत्सव 10 अक्टूबर से 19 अक्टूबर 2011 तथा द्वितीय रबी महोत्सव 07 नवम्बर 2011 से 18 नवम्बर 2011 तक संचालित होगां
2. कार्यक्रम राज्य के सभी जिलों के सभी प्रखंडों के मुख्यालय में आयोजित किया जाएगां
3. प्रत्येक प्रखंड में अधिक से अधिक किसानों को कृषि एवं बागवानी की विषयों पर प्रशिक्षित किया जायेगां रबी महोत्सव 2011 में गेहूँ (श्री विधि से) तेलहन, दलहन, मक्का के साथ – साथ बागवानी फसलों के क्षेत्र विशेष के अनुसार किसानों को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाएगां

dk;Øe dh mís'; &

1. गेहूँ की उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने के लिए समय से बुआई, सिंचाई के लिए जल प्रबंधन के साथ – साथ विशेषतौर से श्री विधि से गेहूँ की खेती का व्यापक प्रचार–प्रसार इस महोत्सव के माध्यम से किया जाएगां साथ ही कृषि विभाग की गेहूँ से संबंधित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अनुदान चयनित किसानों को उपलब्ध कराया जाएगां
2. कृषि विभाग द्वारा राज्य में विशेषकर तेलहन एवं दलहन फसलों के उत्पादकता बढ़ाने के लिए कलस्टर एप्रोच के माध्यम से किसानों को सभी प्रकार के उपादान तथा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अनुदान की व्यवस्था इस महोत्सव के माध्यम से किया जाएगां
3. तेलहन, दलहन फसलों में कीट व्याधि के प्रकोप को कम करने के उद्देश्य से अनुशंसित बीजों के उपलब्धता के साथ – साथ किसानों को वैज्ञानिक तरीके से खेती विशेषकर अंतवर्ती फसलों जैसे कि मसूर के साथ तीसी (3 : 1) तथा चना के साथ धनिया (4 : 2), मक्का के साथ सब्जी आदि के उपयोग पर विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाएगां
4. राज्य में रबी मक्का की उत्पादकता राष्ट्रीय औसत से अधिक है तथा बहुतायत किसानों द्वारा संकर मक्का बीज उपयोग किया जाता हैं इस महोत्सव के दौरान किसानों को संकर मक्का बीज तथा आइसोपोम योजना अंतर्गत मक्का से संबंधित कार्यक्रमों के अंतर्गत अनुदान चयनित किसानों को उपलब्ध कराया जाएगां

5. आत्मा योजना अंतर्गत रबी मौसम में कृषि एवं बागवानी से संबंधित किसान पाठशाला तथा प्रत्यक्षण के लिए चयनित किसानों को प्रशिक्षण के साथ – साथ विहित उपादान का वितरण इस महोत्सव के दौरान किया जाएगां
6. इस महोत्सव में बागवानी फसलों विशेषकर सब्जियों जैसे फूलगोभी, पतागोभी, टमाटर, परवल, लत्तेदार सब्जी आदि के जैविक उत्पादन पर विशेष रूप से किसानों को प्रशिक्षित किया जाएगां साथ ही साथ चयनित किसानों को बागवानी की योजनाओं का भी लाभ दिया जाएगां
7. इस कार्यक्रम के माध्यम से किसानों को फल उत्पादन, सब्जी उत्पादन, पुष्प उत्पादन, औषधीय एवं सुगंधित पौधों, पान, मधुमक्खी पालन तथा जैविक खेती से संबंधित कठिनाइयों का निराकरण जिला स्तर पर वैज्ञानिकों तथा कृषि विभाग के पदाधिकारियों द्वारा किया जायेगां इस प्रकार कृषि के प्रसार कार्यकर्ताओं, विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों तथा किसानों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जा सकेगां
8. कृषि विभाग द्वारा किसानों के हित में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जायेगी तथा योजना का लाभ लेने हेतु अनुदान प्राप्ति संबंधी प्रपत्र भी प्राप्त किया जायेगा जिसे जिला स्तरीय पदाधिकारियों को उपलब्ध कराया जायेगां प्रपत्र भरने में भी पदाधिकारियों का सहयोग कृषकों को प्राप्त होगां राज्य स्तर पर विभिन्न किसानोपयोगी योजनाओं के उद्देश्य को पूरा करने में जमीनी समस्याओं का आकलन किया जायेगा तथा इसे बेहतर तरीके से कार्यान्वित करने हेतु रणनीति भी तैयार की जायेगी एवं किसानों को आ रही कठिनाइयों को रेखांकित कर उनका निराकरण जिला स्तर पर करने का प्रयास भी किया जायेगां
9. कार्यक्रम के द्वारा किसान संगठन एवं कृषक हित समूह का निर्माण कर अधिक उत्पादन तथा बाजारोन्मुखी उत्पादन हेतु प्रेरित करना तथा कृषि विपणन में अधिक सहभागिता के लिए सुदृढ़ करना भी सुनिश्चित किया जायेगां
10. इस अभियान के दौरान किसानों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लंबित अनुदान के आवेदन पत्र का भी निष्पादन किया जायेगां
11. स्प्रिंकलर तथा ड्रीप सिंचाई प्रणाली, वर्मी कम्पोस्ट, एच.डी.पी.ई. पाइप, पॉली हाउस, यांत्रिकरण एवं जैविक खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम के अंतर्गत बायो गैस, वर्मी बेड आदि के आवेदन पत्र लक्ष्य के अनुसार प्राप्त नहीं हुए हैं तो इस अभियान में अवश्य प्राप्त किए जायेंगें
12. कृषि ऋण से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए जिला के बैंक पदाधिकारियों तथा सहकारिता विभाग को इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाएगां किसान क्रेडिट कार्ड के लिये आवेदन भी एकत्र किये जायेंगें
13. भूमि से संबंधित LPC किसानों को निर्गत किया जाएगां
14. कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि बीमा पर बल दिया जायेगां इसके लिए सहकारिता विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारियों को इस उत्सव में भाग लेना सुनिश्चित किया जायेगां

15. इस अभियान के दौरान किसानों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लंबित अनुदान के आवेदन पत्र का भी निष्पादन किया जायेगां

iLrkfor dk;l;kstuk

1. इस कार्यक्रम का आयोजन कृषि विभाग एवं कृषि विज्ञान केन्द्रों के सहयोग से सभी प्रखंडों में निर्धारित तिथि में किया जाएगां
2. कार्यक्रम में अधिक से अधिक कृषकों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार की व्यवस्था की जाएगीं इस कार्यक्रम का प्रचार–प्रसार सभी समाचार पत्रों/सूचना प्रपत्र के द्वारा करवाया जायें साथ ही इन कार्यक्रमों की सूचना प्रखंड के जन प्रतिनिधियों को भी दी जाएगीं
3. कृषकों को कृषि एवं उद्यान से संबंधित किसानोपयोगी कार्यक्रम जो सरकार के द्वारा चलाये जा रहे हैं का साहित्य उपलब्ध कराया जायेगां
4. प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी सह अध्यक्ष प्रखण्ड तकनीकी दल (आत्मा) इस कार्यक्रम का आयोजन प्रखंड तकनीकी दल के अन्य सदस्यों के सहयोग से करेंगें वे इस कार्यक्रम में प्रखंड स्तरीय कृषक सलाहकार समिति का भी सहयोग प्राप्त करेंगें एवं कार्यक्रम में अधिक से अधिक कृषकों की भागीदारी सुनिश्चित कराने हेतु इनकी सहायता प्राप्त करेंगें
5. जिलों से संबंधित प्रखण्डों में वैज्ञानिक जो कृषि विज्ञान केन्द्र या राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय/बिहार कृषि विश्वविद्यालय के हों को लाने की व्यवस्था परियोजना निदेशक आत्मा द्वारा सुनिश्चित की जायेगीं
6. कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु कार्यक्रम समन्वयक प्रयास करेंगें यदि केन्द्रों में वैज्ञानिकों की कमी है तो राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय/ बिहार कृषि विश्वविद्यालय निकटवर्ती कॉलेजों/अनुसंधान केन्द्रों से वैज्ञानिकों की भागीदारी सुनिश्चित करायेगें
7. इन कार्यक्रमों में कृषि विभाग की योजनाओं का प्रपत्र भी कृषकों को उपलब्ध कराया जायेगां यह प्रपत्र उप कृषि निदेशक (सूचना), कृषि विभाग, बिहार सरकार सभी परियोजना निदेशकों को उपलब्ध करवायेंगें
8. किसान पाठशाला के संचालक एवं लाभार्थी कृषक भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगें
9. कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी (JPPO) एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन (IPM) के बारे में कृषकों को प्रशिक्षित करेंगें
10. प्रत्येक प्रखंड में jch egksRlo jFk के माध्यम से रबी 2011 के कार्यक्रमों जो किसान हित में चलाये जा रहे हैं उन्हें बैनर, पोस्टर के माध्यम से प्रचारित कराया जायेगां उक्त रथ में

श्रव्य उपकरण (पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम) के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगीं

11. फलों एवं सब्जियों के उत्पादकता बढ़ाने में सूक्ष्म सिंचाई एक महत्वपूर्ण श्रोत हैं प्रखंड स्तर पर सूक्ष्म सिंचाई के अनुदान संबंधी पुराने प्रपत्र का निष्पादन तथा नये प्रपत्रों को संग्रहित किया जायेगां जिला उद्यान पदाधिकारी इस कार्य में समन्वय करेंगें

12. सहकारिता विभाग द्वारा कृषि ऋण एवं फसल बीमा हेतु शिविर का आयोजन किया जायेगां

13. कृषकों की सफलता की कहानी एवं विभिन्न विषय पर तकनीकी सीडी भी कृषकों को दिखायी जायेगीं कार्यक्रम में मल्टी मिडिया प्रोजेक्टर का उपयोग किया जायेगा तथा बामेती द्वारा उपलब्ध कराई गई सफलता की कहानी दिखाई जायेगीं

14. इस कार्यक्रम के लिए एक गाड़ी कार्यक्रम अवधि के लिए भाड़े पर लेकर (टाटा 407) उसे jch egkRlo jFk का स्वरूप दिया जाएगा जिसमें रबी की योजनायें एवं उन्नत कृषि पद्धति के चित्र उल्लेखित किया जाएगां इस गाड़ी का उपयोग प्रशिक्षकों एवं संबंधित पदाधिकारियों को ले जाने के लिए किया जा सकेगां इसी गाड़ी में कृषक हितार्थ सामग्री भी रहेगी जो कार्यक्रम में कृषकों को दी जाएगीं उक्त रथ में श्रव्य उपकरण (पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम) लगाना सुनिश्चित किया जायेगां

15. प्रथम रबी महोत्सव का जिले में शुभारंभ प्रभारी मंत्री द्वारा दिनांक 10 अक्टूबर 2011 तथा द्वितीय रबी महोत्सव का शुभारंभ 07 नवम्बर 2011 को जिला प्रखंड में करने के लिए अनुरोध किया जाएगां अन्य प्रखंडों में कार्यक्रम के उद्‌घाटन के लिए संबंधित विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक से अनुरोध किया जाएगां यदि माननीय मंत्री भी इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं तो माननीय मंत्री इस कार्यक्रम का उद्‌घाटन करेंगें, माननीय विधायक मुख्य अतिथि होंगें

16. निदेशक बामेती कार्यक्रम के पूर्व सभी समाचार पत्रों में इस कार्यक्रम का विज्ञापन प्रकाशित कराना सुनिश्चित करेंगें उप कृषि निदेशक सूचना विज्ञापन तैयार कराने एवं प्रकाशित कराने में निदेशक बामेती का सहयोग करेंगें विज्ञापन का प्रकाशन आत्मा योजना में राज्य स्तर पर नवाचार गतिविधि (E-1) से किया जाएगां

17. जिला कृषि पदाधिकारी कृषि से संबंधित योजनाओं (कार्यक्रम तथा अनुदान की राशि), जिला उद्यान पदाधिकारी राष्ट्रीय बागवानी मिशन से संबंधित योजनाओं, परियोजना निदेशक (आत्मा) आत्मा से संबंधित योजनाओं के फ्लैक्सी बोर्ड कार्यक्रम से पूर्व सभी प्रखंडों में लगाना सुनिश्चित करेंगें सभी जिलों एवं प्रखंडों में लगाये जाने वाले फ्लैक्सी बोर्ड में कृषि संबंधित सामग्री उपनिदेशक सूचना सभी जिला कृषि पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगें निदेशक उद्यान राष्ट्रीय बागवानी मिशन से संबंधित योजनायें जिला उद्यान पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगें

i[kM Lrjh; Vhe

समन्वय के लिए प्रखंड स्तर पर निम्नप्रकार से टीम का गठन किया जाएगां

- राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय/ बिहार कृषि विश्वविद्यालय/कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक
- प्रखंड कृषि पदाधिकारी
- प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी
- महिला प्रसार पदाधिकारी
- प्रखंड कल्याण पदाधिकारी
- उद्यान पदाधिकारी
- अध्यक्ष प्राथमिक कृषि सहकारी समिति
- उद्यान सलाहकार
- विषय वस्तु विशेषज्ञ
- पौधा संरक्षण पर्यवेक्षक
- कृषक सलाहकार समिति (आत्मा) के सदस्य
- किसान सलाहकार
- प्रगतिशील कृषक
- गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि
- अन्य पदाधिकारी

Vhe ds dk;Z

- प्रखंड स्तरीय टीम प्रखंड में जाकर कृषि प्रसार, कृषक कल्याणार्थ विभिन्न योजनाओं तथा कृषि साख से संबंधित जानकारी उपलब्ध करायेगीं
- jch egkRlo jFk जिस पर किसान के लिए चलाये जा रहे राज्य सरकार द्वारा योजनाओं का विस्तृत विवरण फलैक्स मीडियम पर प्रदर्शित किया जाएगां उक्त रथ में श्रव्य उपकरण (पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम) के माध्यम से विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जाएगीं
- प्रस्तावित कार्य योजना के सभी कार्य संपादित करानां
- कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, शासी परिषद् की बैठक बुलाकर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर ली जायं

जिलों के परियोजना निदेशकों द्वारा कार्यक्रम के लिए प्रचार सामग्री jch egkRlo jFk की विवरणी, प्रखंड स्तर पर कार्यक्रम के लिए जिला स्तर के पदाधिकारियों एवं वैज्ञानिकों की सूची बामेती को उपलब्ध करानां

vuJo.k

- कार्यक्रम का अनुश्रवण राज्य स्तर पर सचिव कृषि –सह– राज्य नोडल पदाधिकारी (आत्मा योजना) द्वारा किया जाएगा तथा समन्वय का कार्य निदेशक बामेती करेंगें
- प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा प्रमंडल स्तर पर इस कार्यक्रम का अनुश्रवण किया जाएगा तथा समन्वय का कार्य संयुक्त कृषि निदेशक द्वारा किया जाएगां
- कृषि विभाग द्वारा जिलों के लिए प्रतिनियुक्त नोडल पदाधिकारी पूरे कार्यक्रम का समन्वय एवं अनुश्रवण करेंगें
- जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा नामित पदाधिकारी द्वारा इस कार्यक्रम का अनुश्रवण किया जाएगा तथा जिला कृषि पदाधिकारी समन्वय का कार्य करेंगें
- प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी इस कार्यक्रम का अनुश्रवण करेंगें तथा इनके द्वारा नामित पदाधिकारी इनको सहयोग देंगें

jch egkRlo 2011 d vk;ktu ij lHkkO; 0;;

कार्यक्रम के लिए निधि की व्यवस्था जिलों में vkRek के लिए निर्धारित विभिन्न कैफेटेरिया B-2 (जिला के अंदर), B-9, B-12, B-14 & E-2) में उपलब्ध राशि से की जायेगीं

जिला कृषि पदाधिकारी एवं जिला उद्यान पदाधिकारी भी इस कार्य हेतु प्रशिक्षण मद में उनको उपलब्ध करायी गयी राशि में से इस कार्यक्रम के आयोजन हेतु व्यय करेंगें परियोजना निदेशक (आत्मा) इस कार्यक्रम के संयोजक हैं अतः वे संबंधित पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर किस विभाग द्वारा कितनी राशि खर्च की जाएगी का निर्धारण जिला पदाधिकारी – सह – अध्यक्ष (आत्मा) के सहमति उपरांत करेंगें

lfefr;k

dk;Øe dh leh{kk gsrq fuEufyf[kr lfefr;ksa dk xBu fd;k tk;sxk

i[kaM Lrj

- i[kaM fodkl inkf/kdkjh – अध्यक्ष
- अध्यक्ष, किसान सलाहकार समिति – उपाध्यक्ष
- प्रखंड तकनीकी टीम के सदस्यगण – सदस्य
- किसान सलाहकार समिति के सदस्यगण – सदस्य
- संयोजक प्रखंड तकनीकी टीम (प्रखंड कृषि पदाधिकारी) – सदस्य सचिव

प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने प्रखंड में कृषि विकास उत्सव के सफलतापूर्वक आयोजन हेतु पर्यवेक्षण का कार्य करेंगें

ftyk Lrj

- ftyk inkf/kdkjh & v/;{k
- उप विकास आयुक्त – उपाध्यक्ष

- आत्मा प्रबंधन समिति एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्य गण – सदस्य
- जिला कृषि पदाधिकारी – सदस्य
- परियोजना निदेशक, आत्मा – संयोजक

जिला पदाधिकारी – सह– अध्यक्ष आत्मा अपने जिले में jch egkRlo 2011 के सफलतापूर्वक आयोजन हेतु पर्यवेक्षण का कार्य करेंगें

<u>jkT; Lrj</u>

- lfpo d`f"k & lg& jkT; ukMy inkf/kdkjh & v/;{k
- निदेशक कृषि एवं उद्यान – सदस्य
- निदेशक, बामेती – संयोजक

jch egkRlo 2011 e jkT;@ftyk@i[kM LRkj d inkf/kdkfj;k d dk;l ,o drO;

Øekad	inkf/kdkjh	dk;ksa dk fu"iknu
jkT;		
1.	सचिव कृषि – सह – राज्य नोडल पदाधिकारी/ निदेशक कृषि/ निदेशक उद्यान/ निदेशक बामेती	1. यथासंभव प्रथम एवं द्वितीय रबी महोत्सव में भाग लेगें जिससे उत्सव में भाग लेने आए किसानों के साथ – साथ किसान सलाहकार, विषय वस्तु विशेषज्ञ, पदाधिकारियों एवं वैज्ञानिकों का उत्साहवर्द्धन हो सकेगां
2.	प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक	1. अपने प्रमंडल अंतर्गत जिलों के प्रथम एवं द्वितीय रबी महोत्सव का प्रतिदिन प्रर्यवेक्षण करेंगें तथा समय से सफलतापूर्वक कार्यक्रम के क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगें 2. प्रथम रबी महोत्सव के पूर्व अपने प्रमंडल के अधीन जिलों में तेलहन, दलहन, मक्का और बागवानी फसलों तथा द्वितीय रबी महोत्सव के पूर्व गेहूँ एवं बागवानी फसलों से संबंधित सभी उपादान की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगें ताकि महोत्सव के दौरान प्रखंड मुख्यालय में किसानों को सभी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ मिल सकें
3.	कृषि विभाग द्वारा जिलों के लिए प्रतिनियुक्त नोडल पदाधिकारी	1. पूरे कार्यक्रम का समन्वय करेंगें 2. प्रथम रबी महोत्सव के लिए प्रखंडों में तेलहन, दलहन, मक्का और बागवानी फसलों तथा द्वितीय रबी महोत्सव के पूर्व गेहूँ एवं बागवानी फसलों से संबंधित सभी उपादान की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगें 3. यथासंभव प्रखंडों में आयोजित रबी महोत्सव में भाग लेगें प्रतिदिन सचिव कृषि को दूरभाष से अथवा मोबाइल के एस.एम.एस. के माध्यम से वस्तु स्थिति से अवगत करायेंगें
ftyk		
4.	जिला कृषि पदाधिकारी	1. संपूर्ण कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु समन्वय स्थापित करेंगें तथा कार्यक्रम संपन्न कराने हेतु जिम्मेवार होंगें 2. प्रथम रबी महोत्सव के लिए प्रखंडों में तेलहन, दलहन, मक्का तथा द्वितीय रबी महोत्सव के पूर्व गेहूँ फसलों से संबंधित सभी उपादान की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगें 3. मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना तथा बीज ग्राम योजना अंतर्गत आवश्यक बीज की उपलब्धता तथा महोत्सव के दौरान चयनित किसानों को बीज उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें 4. प्रथम एवं द्वितीय रबी महोत्सव का जिले में वृहद प्रचार–प्रसारं 5. द्वितीय रबी महोत्सव के दौरान श्री विधि से गेहूँ संबंधित उपादानों की उपलब्धता, संकर प्रभेद से मक्का के प्रत्यक्षण हेतु प्रखंडवार बीज विक्रेता को नामित एवं चिह्नित करेंगें तथा प्रखंड की आवश्यकतानुसार बीज की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगें 6. बीज वितरण/प्रत्यक्षण हेतु विषय वस्तु विशेषज्ञ को अलग–अलग पंजी उपलब्ध करायेंगें उक्त पंजियों में किसानों की सूचनायें निर्धारित प्रपत्र के अनुसार अंकित की जाएगीं 7. प्रथम एवं द्वितीय रबी महोत्सव में तकनीकी सत्र के उपरांत संध्या में किसानों के साथ परिचर्चा के दौरान उपस्थित रहेंगें 8. कृषि विभाग द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं आइसोपोम, माइक्रोमोड, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, कृषि यांत्रिकरण योजना, दियारा विकास योजना, जैविक खेती प्रोत्साहन योजना इत्यादि के अतिरिक्त प्राप्त लक्ष्य के लिए कृषकों के आवेदन का निष्पादन करेंगें साथ ही पूर्व के लंबित अनुदान से संबंधित आवेदनों का भी निष्पादन करेंगें

5.	अंचल पदाधिकारी	प्रथम एवं द्वितीय रबी महोत्सव के दौरान किसानों को LPC उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें
6.	जिला सहकारिता पदाधिकारी	फसल बीमा से संबंधित आवेदनों का निष्पादन सुनिश्चित करेंगें
7.	जिला लीड बैंक प्रबंधक	जिला के सभी बैंकों से संबंधित किसानों (किसान क्रेडिट कार्ड) से लंबित आवेदन का त्वरित निष्पादन करेंगे तथा किसान क्रेडिट कार्ड के आवेदन का भी निष्पादन करेंगें
8.	जिला उद्यान पदाधिकारी	1. प्रथम एवं द्वितीय रबी महोत्सव के दौरान समय के अनुसार अनुशंसित फलों एवं सब्जियों के पौध सामग्री/बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगें साथ ही रबी मौसम में लगाये जाने वाले औषधीय एवं सुगंधित पौधों के भी पौध सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगें 2. महोत्सव के पूर्व जिलावार बागवानी से संबंधित सभी प्रकार के उपादानों (पौध सामग्री, बीज, पोर्टटेबुल वर्मी बेड, स्प्रिंकलर सेट, ड्रीप सिंचाई प्रणाली, एच.डी.पी.ई. पाईप, पॉली हाउस आदि) के स्वीकृतादेशों तथा किसानों की संख्या के अनुसार उपादानों की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगें 3. वित्तीय वर्ष 2011 – 12 में उद्यान निदेशालय द्वारा चलायी जा रही योजनाओं जिसमें अनुदान की व्यवस्था है का आवेदन का निष्पादन करेंगें तथा चयनित कृषकों को स्वीकृतोदश उपलब्ध करायेंगें ड्रीप एवं स्प्रींकलर सिंचाई हेतु पूर्व से प्राप्त आवेदनों का निष्पादन भी करेंगें 4. उपादानों के वितरण हेतु विषय वस्तु विशेषज्ञ को अलग–अलग पंजी उपलब्ध करायेंगें उक्त पंजियों में किसानों की सूचनायें निर्धारित प्रपत्र के अनुसार अंकित की जायेंगीं 5. बागवानी के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए निर्धारित मार्गदर्शिका तथा संबंधित साहित्य महोत्सव के दौरान किसानों को उपलब्ध करायेंगें
9.	कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र	1. प्रथम एवं द्वितीय रबी महोत्सव में रबी की फसलों तथा बागवानी से संबंधित तकनीकी मार्गदर्शन महोत्सव के दौरान किसानों को देंगें 2. राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय/बिहार कृषि विश्वविद्यालय से महोत्सव के लिए प्रतिनियुक्त वैज्ञानिकों से महोत्सव के पूर्व समन्वय करेंगें प्रतिनियुक्त वैज्ञानिकों को जिले के कृषि विज्ञान केन्द्र के कार्यक्रमों की जानकारी तथा संबंधित पाठ्यसामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें
10.	परियोजना निदेशक, आत्मा	1. प्रथम एवं द्वितीय रबी महोत्सव के आयोजन से संबंधित प्रखंडवार पदाधिकारियों/वैज्ञानिकों की सूची तैयार कर कृषि विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें तथा इसकी एक प्रति निदेशक बामेती, पटना को भी उपलब्ध करायेंगें 2. प्रखंडों में लगने वाले महोत्सव के लिए jch egkRlo jFk तथा आवश्यक तकनीकी पुस्तिका पर्याप्त मात्रा में प्रखंड स्तर के पदाधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें 3. जिले के प्रभारी माननीय मंत्री से प्रथम रबी महोत्सव का दिनांक 10 अक्टूबर 2011 एवं द्वितीय रबी महोत्सव का 07 नवम्बर 2011 को जिले के प्रखंड में महोत्सव की शुरूआत का अनुरोध करेंगें 4. प्रथम एवं द्वितीय रबी महोत्सव से संबंधित रूप रेखा की एक प्रति सभी प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें 5. प्रथम एवं द्वितीय रबी महोत्सव में इस वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित प्रत्यक्षण एवं किसान पाठशाला के क्रियान्वयन की पूरी प्रक्रिया पूर्ण करेंगें प्रत्यक्षण तथा किसान पाठशाला के लिए निर्धारित उपादान का वितरण महोत्सव के दौरान करेंगें

		6. प्रथम एवं द्वितीय रबी महोत्सव में तकनीकी सत्र के उपरांत संध्या में किसानों के साथ परिचर्चा का आयोजन सुनिश्चित करेंगें 7. कृषक हित समूह के गठन हेतु कृषकों को प्रोत्साहित करेंगें साथ ही कृषक हित समूह के गठन के लिए निर्धारित लक्ष्य पूर्ण करेंगें 8. जिले के लिए चयनित विशेष फसल से संबंधित योजना का कृषकों के बीच प्रचार–प्रसार तथा चयनित विशेष फसल के उपादानों की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगें 9. जैविक गाँव के कृषकों का इस कार्यक्रम में उपस्थिति सुनिश्चित करानां
11.	कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी	प्रथम एवं द्वितीय रबी महोत्सव में आये किसानों को फसलों में बीज उपचार एवं समेकित कीट एवं रोग प्रबंधन के महत्व की जानकारी देंगें
i[k.M		
12.	प्रखंड कृषि पदाधिकारी	1. प्रखंड में प्रथम एवं द्वितीय रबी महोत्सव का आयोजन सुनिश्चित करेंगें 2. विभिन्न योजनाओं अंतर्गत प्रखंडों के लिए निर्धारित लक्ष्यों यथा बीज वितरण, प्रत्यक्षण, यांत्रीकरण आदि हेतु विषय वस्तु विशेषज्ञों/किसान सलाहकार के माध्यम से किसानों का चयन कर महोत्सव से पूर्व सूची तैयार करेंगें 3. जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा प्रखंड के लिए निर्धारित संकर मक्का बीज, तेलहन, दलहन के अनुज्ञप्ति प्राप्त बीज विक्रेता को प्रथम रबी महोत्सव में प्रभेद वार बीज की व्यवस्था के साथ भाग लेने हेतु उपस्थिति सुनिश्चित करेंगें इसी प्रकार द्वितीय रबी महोत्सव के दौरान गेहूँ के प्रत्यक्षण हेतु चयनित किसान को बीज क्रय के लिए रसीद तथा अनुदान की राशि भुगतान सुनिश्चित करेंगें 4. मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना तथा बीज ग्राम योजना अंतर्गत आवश्यक बीज की उपलब्धता तथा महोत्सव के दौरान चयनित किसानों को बीज उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें 5. उत्सव के दौरान तकनीकी सत्र के उपरांत संध्या में किसानों के साथ परिचर्चा का आयोजित करना सुनिश्चित करेंगें तथा परिचर्चा में भी स्वयं उपस्थित रहेंगें 6. कृषि विभाग द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं आइसोपोम, माइक्रोमोड, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, कृषि यांत्रिकरण योजना, दियारा विकास योजना, जैविक खेती प्रोत्साहन योजना, आत्मा योजना, फार्म स्कूल इत्यादि के अतिरिक्त प्राप्त लक्ष्य के लिए कृषकों से आवेदन प्राप्त करेंगें साथ ही पूर्व के लंबित अनुदान से संबंधित आवेदन का निष्पादन करेंगें
13.	प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी	फसल बीमा से संबंधित विस्तृत जानकारी देंगें
14.	बैंको द्वारा शिविर हेतु प्रतिनियुक्त पदाधिकारी	संबंधित क्षेत्र के सभी बैंकों से संबंधित किसानों (किसान क्रेडिट कार्ड) से लंबित आवेदन का त्वरित प्राप्त करेंगे तथा किसान क्रेडिट कार्ड के लक्ष्य की जानकारी एवं आवेदन प्राप्त करेंगें
15.	प्रखंड स्तरीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी	बीज उपचार, समेकित कीट एवं रोग प्रबंधन के फायदे कृषकों को बतायेंगे तथा किसान पाठशाला की जानकारी देंगें
16.	विषय वस्तु विशेषज्ञ	1. संबंधित पंचायतों में प्रथम एवं द्वितीय रबी महोत्सव का प्रचार–प्रसार एवं प्रखंड में आयोजित शिविर में किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करेंगें 2. विभिन्न योजनाओं अंतर्गत प्रखंडों के लिए निर्धारित लक्ष्यों यथा बीज वितरण, प्रत्यक्षण, यांत्रीकरण आदि हेतु विषय वस्तु विशेषज्ञों/किसान सलाहकार के माध्यम से किसानों का चयन कर महोत्सव से पूर्व सूची तैयार करेंगें 3. मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना तथा बीज ग्राम योजना अंतर्गत आवश्यक बीज की उपलब्धता तथा महोत्सव के दौरान चयनित किसानों को बीज उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें 4. उत्सव के दौरान तकनीकी सत्र के उपरांत संध्या में किसानों के साथ परिचर्चा के दौरान स्वयं उपस्थित रहेंगें 5. कृषि विभाग द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं आइसोपोम, माइक्रोमोड,

		राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, कृषि यांत्रिकरण योजना, दियारा विकास योजना, जैविक खेती प्रोत्साहन योजना, आत्मा योजना, फार्म स्कूल इत्यादि के अतिरिक्त प्राप्त लक्ष्य के लिए कृषकों से आवेदन प्राप्त करेंगें साथ ही पूर्व के लंबित अनुदान से संबंधित आवेदन का निष्पादन करेंगें
17.	प्रखंड उद्यान पदाधिकारी/क्षेत्र सलाहकार	1. संबंधित प्रखंडों के बागवानी से संबंधित आवेदनों की सूची तैयार कर किसानवार प्रतिवेदन उद्यान पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगें 2. रबी महोत्सव में तकनीकी सत्र में किसानों के साथ परिचर्चा के दौरान स्वयं उपस्थित रहेंगें 3. उद्यान निदेशालय द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं के लक्ष्य के लिए कृषकों से आवेदन प्राप्त करेंगें साथ ही पूर्व के लंबित अनुदान से संबंधित आवेदन का निष्पादन करेंगें
18.	किसान सलाहकार	1. संबंधित पंचायतों में प्रथम एवं द्वितीय रबी महोत्सव का प्रचार–प्रसार एवं प्रखंड में आयोजित शिविर में किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करेंगें 2. पंचायतवार किसानों की सूची के अनुसार किसानों को प्रथम एवं द्वितीय रबी महोत्सव में भाग लेना सुनिश्चित करेंगें 3. उत्सव के दौरान तकनीकी सत्र के उपरांत संध्या में किसानों के साथ परिचर्चा के दौरान स्वयं उपस्थित रहेंगें